



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- लालसोट

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2072 - 2075

पटवार हल्का :- लालसोट

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2080 (वर्ष 2024) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- लालसोट

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- लालसोट

खाता संख्या नया :- 905

जिला :- दौसा

खाता संख्या पुराना :- 1302

काश्तकार का नाम :-

1. चम्पा पुत्री कजोड़मल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
2. दुगदिवी पलि ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
3. धप्पो पुत्री कजोड़मल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
4. पुखराज पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
5. प्रेम पुत्री कजोड़मल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
6. बदाम पुत्री ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
7. बाबूलाल पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
8. भगवानसहाय पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
9. रमेश पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा- 4/399 जाति- माली सा. देह खातेदार
10. सुखर्जी पुत्र कजोड़मल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
11. स्व.मूलचन्दमीना कल्याण संस्थान हिस्सा- 11/19 सा. देह संस्था के लिए अ.विव.- जरिये सचिव सतपाल मीना तहसील लालसोट
12. हजारी पुत्र कजोड़मल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार
13. हीरालाल पुत्र कजोड़मल हिस्सा- 8/133 जाति- माली सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई सदृश लगान के साथन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1646	0.2403 बारानी 1	0.2403 0.15		
कुल खसरे -1	0.2403	0.1500		

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - SW MOOLCHAND MEENA

पता - LALSOT

KALYAN SANSTHAN

प्रतिलिपि सं. - 20147

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय -24/Feb/2024 10:53:00 AM

नक्ल जारी करने का स्थान - लालसोट

यू.एस.एन - 72637472590503

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=72637472590503>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - MADAN LAL MEENA

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 05/Feb/2024 11:14:00 AM



प्रस्तुप-11
नियम 7 (1) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय

मामला सं.

और घर्ष

(1) श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री सतपाल मीना निवासी जयपुर।

(2) श्री मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान लजिये सचिव सतपाल पुत्र बृजगोहन मीना निवासी महारिया तहसील लालसोट।

18/9/93

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

- उपर नामित आवेदकों ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	प्रस्तावित रकबा क्षेत्रफल
लालसोट जिला दौंजा	लालसोट	खसरा नं. 1642 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नं. 1643 रकबा 2.04 बीघा खसरा नं. 1644 रकबा 1.11 बीघा खसरा नं. 1646 रकबा 19 विस्ता में से 11 विस्ता कुल किता 4, 90 क हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 5 बीघा 16 विस्ता	5 बीघा 16 विस्ता

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शापथपत्र, की मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नकशा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैने आवेदकों द्वारा आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/रक्कीम के अनुरूप है और आवेदकों के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिकृति अधिनियम की धारा 63 और तदृकीन बनाये गये नियमों के उपर्योग के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिकृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम लालसोट में खसरा नं. 1642 रकबा 1.10 बीघा खम्पूर्ण, खसरा नं. 1643 रकबा 2.04 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नं. 1644 रकबा 1.11 बीघा सम्पूर्ण, खसरा नं. 1646 रकबा 19 विस्ता में से 11 विस्ता भूमि पर आवेदकों के अधिकृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यवितरणों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों द्वारा उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यवनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदकों द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साम्यक आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरेपित निवधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक १२.८.२३ को पारित किया गया।

(स्मिता चौधरी)

प्राधिकृत अधिकारी

नगर पालिका लालसोट

दिनांक १२.८.२३

सं. ३१३६

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अधेष्ठित की गयी -

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण नगरपालिका लालसोट
2. तहसीलदार, तहसील लालसोट को पूर्वोत्तर भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तकरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. खातेदार श्रीमती मुन्नी देवी को सूचनार्थ।

(स्मिता चौधरी)

प्राधिकृत अधिकारी

नगर पालिका लालसोट

६८

कालसोट तहसीलदार तहसील लालसोट
मुख्य/मूल्य/ २३।८।२३।८।११।१४
मूल है छठारी हुल्ली लालसोट
सियाजनासार जावेदार एवं देवी

११।९।१४
तहसीलदार
लालसोट (दौला)

नम्बर रसीद संख्या 2420

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम अश्विनी कुमार
2. लेख्य-पत्र की किस्म राजनीति लोकवाक्य
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई बालकर्मी
4. प्रतिफल की रकम

रुपये पैसे

के फीस रजिस्ट्री : विकल्प यपत्र १२००० ~

(1) साधारण फीस रजिस्ट्री	<u>७८५</u>	<u>10,86,800</u> ~
(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस		<u>10,870</u> ~
(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस		<u>300</u> ~
ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि		

देने की फीस

ग. विविध फीस : रजिस्ट्री 5440 ~

(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस	
(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस	
(3) धारा 25 व 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस	
(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता	
(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस	
(6) संरक्षण फीस	
(7) मोहरबंद लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) को अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस	
(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस	
(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की विक्री इत्यादि की आय सम्मिलित हो) पत्र योग फीस	

संकलीष संतारणी योग फीस २९९५० -फीस के प्राप्त होने की तारीख २०-१-५ ..

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और

लौटाये जाने या पाने की तारीख २०-१-५.उप पंजियक
रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर (राज.)

149/२०१५

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

461133

8 JAN 2015



विक्रय-पत्र आराजी बिलएवज गुबलिंग रुपये 8,19,000/- अंके आठ लाख
चूनीस हजार रुपये मात्र।

❖ विक्रेतागण (प्रथमपक्ष) :- भगवती देवी पति रामजीलाल
कौम स्वर्णकार हि० 3/19 व रामसहाय, जगन्नाथ, चौथमल,
प्रकाशचन्द पि० रामचन्द्र हि० 8/19 जाति माली निवासी लालसोट
तहसील लालसोट जिला दौसा

बहक

❖ क्रेता (द्वितीयपक्ष) :- स्व० मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान जरिये
सचिव सतपाल मीना लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

मृत्युर्विहीन

प्रमाणित ग्रन्ति

S. P.

कृष्णन

कृष्णन

8961

20-1-15

रुपये २००० विक्रम पटेल

वाराणसी बाजार, काशी नगर, उत्तर प्रदेश





रुपये २०००

रुपये २०००

$$20,000 + 2 = 20,000$$

$$500 + 2 = 500$$

$$\text{कुल} = 20,000 + 500 = 20,500$$

रुपये २४२६/५

20-1-15

रुपये 10870

रुपये 300

रुपये 13340

रुपये 5440

रुपये 29950

रुपये 4500

20-01-2015 कुल

भौमाधर दिवी

परिवहन वाहन लालचार



13340



2426/५ 20-01-15

रुपये 1086800

रुपये 54340







८९६१



राजस्थान RAJASTHAN



461134



विक्रय-पत्र आराजी खं. 1646 रक्षा 19 विस्वा अंके उन्नीस विस्वा भूमि
स्थित कर्खा लालसोट तहसील लालसोट में हम विक्रेतागण की हिस्सा
11/19 की भूमि का बेचान

← → विक्रय-पत्र

मायाके भगवती देवी उम्र साल पत्नि रामजीलाल कौम स्वर्णकार व
रामसहाय उम्र ७० साल, जगन्नाथ उम्र ६७ साल, चौथमल उम्र ५८ साल,
प्रकाशचन्द्र उम्र ५० साल पि० रामचन्द्र जाति माली निवासी लालसोट
तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान प्रदेश के हैं।

—विक्रेतागण (प्रथमपक्ष)

रामजीलाल
उम्र ७०

विक्रेता
रामजीलाल

S/H


रामजीलाल

रामजीलाल

8961 रा. 20-1-15

दिनांक १०.३.२०१५ वर्ष

प्रमाणित श्रीवा. कुमार मिश्र
संस्कृत विद्यालय



दिनेश कुमार गुप्ता
अस्प विद्येश
लालसोट जिला - दौर
ता क- R11/82

(१) अग्रवती दिवी पालि काम्प्लीयार्ड अप्पल-कोला ३५-२० ग्राम
पश्चा-कार्बन नियोजित लोड

- (२) शमदेव ३५-२० ग्राम (३) ८/१००। (४) ३५-६७ ग्राम
(५) वैद्यवती दिवी काम्प्लीयार्ड ३५-५५ पश्चा-कार्बन
नियोजित लोड

५ घंटा २०१५
माला १५० वर्ष
लालसोट
कृष्ण राजपाल विद्यालय
प्रबन्धक विद्यालय

१५००५
आठल/२९ जून २०१५ दिनांक
प्रबन्धक विद्यालय

ग्रन्थ
प्रबन्धक
विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय

प्रबन्धक विद्यालय



जो कि कस्बा लालसोट पटवार क्षेत्र लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान क्षेत्र में कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 690 में आराजी ख.नं 1646 रकबा 19 बिस्वा अंके उन्नीस बिस्वा भूमि में हम विक्रेतागण की हिस्सा 11/19 की भूमि अंकित व स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में उपरोक्त वर्णित हिस्सा की खातेदारी विक्रेतागण प्रथमपक्ष के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्वयं बहैसियत खातेदार कृषक के रूप में बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर, साझे व हिस्से के एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज है तथा विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्पष्ट रूप से कथन करते हैं तथा क्रेता द्वितीयपक्ष को आश्वस्त करते हैं कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा इसके किसी भी अंश व भाग को विक्रेतागण प्रथमपक्ष ने किसी भी व्यक्ति या वित्तीय संस्था आदि के हक में रहन, विक्रय, दान, त्याग, बख्शीश आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की है तथा विक्रय करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, आदि के साथ कोई अनुबंध करार सौदा इत्यादी नहीं किया है तथा उपरोक्त

गोरन्यायिक

3/1
19/1/2012
मुमिनुल्लाह

चैप्पल

गोरन्यायिक

8961 द-१०-१-१५

पुस्तक शास्त्री अधिकारी

लिखा

दिनेश कुमार गुप्ता

स्टाम्प विक्रेता

लालसोट जिला - गो.

ला. न- R11/82

उपरोक्त 'कामलेश'

'रामदेव' ज्ञानपत्रि

'पंडित' योगदान

'रमाती' 30 वर्ष

'श्री' का/का ३५१

लिखा

लिखा

लिखा

लिखा

लिखा



राजस्थान RAJASTHAN

C 353609

19 JAN 2015

4.

वर्णित कृषि भूमिया उसके किसी भी अंश या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ को हस्तांतरित करने के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुबंध करार सौदा या अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि या उसको किसी भी अंश को किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में रहन नहीं किया है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी ऋण, भास, कर्जा, कुर्की, जमानत, अवाप्ती आदि से मुक्त है तथा हर प्रकार के जनसाधारण के वाद विवादों एवं झगड़ों व टण्टो आदि से शुद्ध व पवित्र है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के संदर्भ में वर्तमान में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण को हर प्रकार से विक्रय आदि करने के सम्पूर्ण अधिकार विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्वयं को हैं।

यह कि विक्रेतागण प्रथमपक्ष को रूपयों की आवश्यकता होने से प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने स्वयं अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव व आग्रह के उपरोक्त वर्णित आराजी ख.नं 1646 रक्खा 19 बिस्वा अंके उन्नीस बिस्वा भूमि स्थित करवा

आपरेटर

S.M. ५०१२१२३३८८८

५०१२१२३८८८८८

गुरुपट्ट

8961 २०-११५

दिनेश कुमार गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
लालसोट जिला—दौस
ता. न- R11/92

कुमारगढ़ी ग्राम पंचायत

दिनेश कुमार गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
लालसोट जिला—दौस
ता. न- R11/92

२०-११५

३२०७०१३४

१४९

३२०७०१३४

७१६ ३४

३२०७०१३४

१०१५१०६

कुमारगढ़ी ग्राम पंचायत

लालसोट तहसील लालसोट में हम विक्रेतागण गण की हिस्सा 11/19 की भूमि को मय सूल, बोल, डोली, डांगर, पूला, पाणी, इत्यादी सहित के समर्त कृषि हक खातेदारी स्वत्वाधिकारों आदि सहित को बिलऐवज मुबलिंग रूपया 8,19,000/- अंके आठ लाख उन्नीस हजार रूपयों की एवज में स्व० मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान जरिये सचिव सतपाल मीना लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में बेचान कर दिया और बेचान की चूकती राशी द्वितीयपक्ष क्रेता के सचिव श्री सतपाल मीना पुत्र श्री बृजमोहन मीना से नगद क्रेता द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिये हैं। जिसे विक्रेतागण प्रथमपक्ष एतदद्वारा प्राप्त करना स्वीकार करता हूँ तथा अब प्रतिफल की धनराशी में से कुछ भी राशी विक्रेतागण प्रथमपक्ष को क्रेता द्वितीयपक्ष से लेनी शेष नहीं रही हैं तथा विक्रय की गई कृषि भूमि हिस्सा 11/19 पर कब्जा विक्रेतागण प्रथमपक्ष ने मौके पर कानूनी रूप से व वास्तवीक रूप से करा दिया है तथा प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने अपना समर्त दखल व कब्जा हटाकर क्रेता द्वितीयपक्ष को अपने समान एकमात्र स्वामी व काबिज बना दिया है अब इस विक्रय की गई कृषि भूमि पर से विक्रेतागण स्वयं का तथा उसके समर्त स्थापनों, दायभागीयों एवं उत्तराधिकारियों का कोई हक व सम्बंध नहीं रहा है ना ही भविष्य में होगा।

विक्रय की गई कृषि भूमि में विक्रेतागण प्रथमपक्ष या अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं है यदि कोई साझी व हिस्सेदार उत्पन्न होकर इस विक्रय की गई भूमि के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा या विवाद उत्पन्न करेंगा तो इस विक्रय के विरुद्ध उत्पन्न प्रत्येक दावों व विवादों आदि का निपटारा, सुलटारा विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्वयं अपने धन एवं श्रम से करेंगा और यदि इस विक्रय की गई कृषि भूमि के विरुद्ध उत्पन्न किसी प्रकार की कोई दावेदारी अथवा विक्रेतागण प्रथमपक्ष स्वयं के स्वामित्व की किसी त्रुटि व दोष के फलस्वरूप विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा इसका कोई अंश या भाग क्रेता द्वितीयपक्ष के कब्जे व अधिकार से निकल जावें या क्रेता द्वितीयपक्ष को इस संबंध में कोई आर्थिक उठानी पड़ जावें तो क्रेता द्वितीयपक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह प्रतिफल विक्रय की सम्पूर्ण राशी मय समर्त हानि व व्यय आदि सहित विक्रेतागण प्रथमपक्ष की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें, वसूल कर लेवें, इस सम्बन्ध में विक्रेतागण प्रथमपक्ष का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

विक्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण विक्रेतागण प्रथमपक्ष द्वारा क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार करा दिया जावेंगा अन्यथा क्रेता द्वितीयपक्ष स्वयं इस लेख पत्र के आधार पर अपने हक

उप पंजीयक

लालसोट जिला दौसा (राज.)

२०१२। नृपाम

चैप्टर

S.M.

में राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार करा लेवें। आज से क्रेता द्वितीयपक्ष विक्रय की गई कृषि भूमि पर एक मात्र स्वामी व काबिज वास्तवीक रूप से हो गए हैं तथा क्रेता द्वितीयपक्ष को विक्रय की गई कृषि पर समरत मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गए हैं तथा क्रेता द्वितीयपक्ष को यह अधिकार है कि वह विक्रय की गई भूमि को संस्थानिक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेन्टर, कृषि संकाय (फार्म) के उपयोग में लेवें, किसी अन्य के हक में विक्रय करें, किसी अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावें, समर्त सरकारी विभागों में अपना नाम अंकित करावें तात्पर्य यह हैं कि आज से क्रेता द्वितीयपक्ष विक्रय की गई कृषि भूमि पर एक मात्र स्वामी के रूप में काबिज रहकर हर प्रकार के उपयोग व उपभोग करें, विक्रय-पत्र के निष्पादन सबंध में समरत व्यवहार क्रेता द्वितीयपक्ष ने स्वयं वहन किया है। विक्रय की जा रही भूमि पूर्व दिशा वाली सीताराम शर्मा की भूमि से लगती हुई विक्रय की है।

विक्रय की गई वृष्टि भूमि में कस्बा लालसोट की आबादी से 3 किमी 10 दूर स्थित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग लालसोट गंगापुर सड़क वाली से 1 किमी 10 दूर स्थित है। विक्रय की जा रही भूमि असिंचित है। इसके पास कोई सरकारी कार्यालय नहीं है।

लिहाजा यह चन्द कलमे बतरीक बैयनामा स्टाम्प कीमती 40000/- रुपये किता - पर बदुरुस्ती होश हवास बिना नशा पता बिना किसी दबाव के लिखा दीना कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम में आवें। तारीख तहरीर : 20.01.2015 ई० ड्राफ्टेड बाई - इश्हाक मोहम्मद डीडराईटर ला.नं. 5 तहसील लालसोट ।

साक्षी : कृष्ण लक्ष्मण ह0 विक्रेतागण (प्रथमपक्ष) मुमुक्षु

କୋଣାର୍କ ଶୈଳୀରେ ମୁଦ୍ରଣ କରିଛି

୨୯ ବେଳେ ପରିମାଣ
ଦେଖିଲାମ

मुम्बई जन प्रजायक साक्षी : १८०
संस्कृत विद्या दीर्घा (राजा)

સાહેબજી, માનુષ જી

30 30 1918 40000,

Get on my boat

ह० विक्रेतागण (प्रथमपक्ष) २०८४५

~~ମୁଦ୍ରାକାରୀ~~ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଲାମୁଣ୍ଡିଲାମୁଣ୍ଡି

४० क्रेता (द्वितीयपक्ष)

प्र० अ० + H.A.A. T.L. 538 N





जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- राजोली

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075 - 2078

पटवार हल्का :- राजोली

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2080 (वर्ष 2024) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- लालसोट

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- लालसोट

खाता संख्या नया :- 182

जिला :- दौसा

खाता संख्या पुराना :- 174

काश्तकार का नाम :-

1. स्व. मूलचन्द मीणा कल्याण संस्थान अध्यक्ष श्री मती राजन्तिदेवी मीणा लालसोट हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए अ.विव.- जरिये अध्यक्ष श्रीमती राजन्तिदेवी मीणा , लालसोट,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई संदर्भ लगान के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
295/173	0.3920 बारानी 3	0.3920 0.47		
कुल खसरे -1	0.3920	0.4700		

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - SW MOOLCHAND MEENA

पता - RAJOLI

KALYAN SANSTHAN

प्रतिलिपि सं. - 20148

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय -24/Feb/2024 10:57:00 AM

नक्ल जारी करने का स्थान - लालसोट



प्रारूप "ख"
देखिये नियम 9 (3),(4) और (6)

कार्यालय विहित प्राधिकारी / उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राजस्थान)

दिनांक :

क्रमांक :

संपरिवर्तन – आदेश (Conversion Order)

स्व. मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान जरिये सचिव श्री सतपाल पुत्र बृजमोहन मीना निवासी महारिया तहसील लालसोट के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. आवेदन खातेदार अभिघारी का नाम | : स्व. मूलचन्द मीना कल्याण संस्थान |
| 2. पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता | : जरिये सचिव श्री सतपाल पुत्र बृजमोहन |
| 3. क्या आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है : नहीं | : ग्राम एवं पंचायत – महारिया तहसील |
| 4. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा
क. ग्राम राजौली तहसील का नाम लालसोट
ख. भूमि का खंसरा सं. 295/173 का क्षेत्रफल रकमा 1.11 बीघा
ग. खंसरा सं. 295/173 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए 3923.64 वर्ग मीटर भूमि
संस्थानिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित क्षेत्रफल | : लालसोट जिला दौसा (राजस्थान) |

ठिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्प्रक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

- | | |
|---|-------------------------------|
| 5. संपरिवर्तन का प्रयोजन | : संस्थानिक प्रयोजनार्थ |
| 6. सदेय प्रीमियम की दर | : 23.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
| 7. चालान की संख्या 53 दिनांक 11.10.2017
जमा कराई गई प्रीमियम की रकम | : 93200 |
| 8. चालान की संख्या तथा तारीख
शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम | : नहीं |
| 9. चालान की संख्या दिनांक
ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम | : नहीं |

कुल राशि : 93200

- | |
|--|
| 10. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है : नहीं |
| 11. अन्य विशिष्टियाँ, यदि कोई हो : नहीं |
| 12. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा – |

- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3. नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमा अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क सीमा को छोड़ते हुए/अप्रोच रोड पर ही संपरिवर्तन माना जावें।

क्रमांक : 666 - 669

प्रतिलिपी :-

1. जिला कलक्टर महोदय दौसा।
2. तहसीलदार लालसोट।
3. ग्राम पंचायत/सचिव ग्राम पंचायत राजौली तहसील लालसोट।
4. आवेदक श्री

(डा.गोरखन लाल शर्मा RAS)

उपखण्ड अधिकारी

लालसोट

दिनांक : 12/12/12

(डा.गोरखन लाल शर्मा RAS)



उपखण्ड अधिकारी

लालसोट

बहु न्याय अधीन 225/173 वार्क राजाली तदो लालसोट जिं देह (राज्य)
वे ५६७४.७५ व-ग. = ३३२३.६४ क. मी. = १.११ वीणा अस्तं काषे सो संत्यानेक
संपरिवर्तने होइ

प्राप्ति - स्वयुल्लक्ष्मीना कल्याण संस्थान जारी आवाहन दिए
राजनीती देवी वीणा नियमानन्दी - तीक्ष्ण लक्ष्य द्वारा देवी
जुलौष्ण वीणा तिं प्राप्ति

अधिकाली देवी की (१:७५)



← लालसोट

राजाली चुर रीड

C.S.

249

प्राप्ति

हाजारी

DRAWN BY
C.S.